निर्णय ब इजलास अन्तर सिंह नेहरा आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर
प्रकरण संख्या 349/2020 (धारा 14 सिक्योरिटाईजेशन)

यूको बैंक शाखा एम आई रोड, जयपुर ।

प्रार्थी बैंक

बनाम

1. कृष्ण कुमार सैनी पुत्र श्री कैलाश चन्द सैनी
2. श्रीमती धोली देवी सैनी पत्नी श्री कृष्ण कुमार सैनी
   पता–1 ए, सोहन नगर ए, बाबा क्षेत्रपाल मन्दिर के सामने, मान्यावास, न्यू सांगानेर रोड, जयपुर एवं फ्लैट नं॰ 1308, गुरू शिखर, शेखावाटी ग्राम नींदड, तहसील आमेर ।

अप्रार्थी ऋणी

The application under section 14 of the securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of security interest Act. 2002

उपस्थित :–

1. श्री नरेन्द्र शर्मा अधिवक्ता प्रार्थी बैंक की ओर से।

आदेश दिनांक: **19.01.2021**

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी बैंक ने अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 03.10.2013 को पुनभुर्गतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में अप्रार्थी कृष्ण कुमार सैनी पुत्र श्री कैलाश चन्द सैनी के स्वामित्व की सम्पत्ति फ्लैट नं॰ 1308, गुरू शिखर, शेखावाटी, ग्राम नींदड, तहसील आमेर जिला जयपुर क्षेत्रफल 681.09 वर्गफिट को बन्धक रख कर कुल राशि 16,00,000/–रुपये की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। अप्रार्थी ऋणी द्वारा प्रार्थी बैंक को ऋण भुगतान करने में असफल रहने पर अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 03.12.2019 को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किये गये। नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज भुगतान नहीं करने पर प्रार्थी बैंक ने The securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of security interest Act. 2002 की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने पास बन्धक उक्त कार का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक पुलिस इमदाद उपलब्ध कराने का अनुरोध किया है।

जिला मजिस्ट्रेट (कलक्टर) जयपुर

2. प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया । न्याय हित में अप्रार्थी ऋणियों को सूचना पत्र जारी किये गये। अप्रार्थी की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ।

3. प्रार्थी बैंक के सुयोग्य अधिवक्ता को गौर से सुना गया । पत्रावली एवं प्रस्तुत दस्तावेजों का भलीभांति अवलोकन किया गया।

4. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी बैंक ने अप्रार्थी को कुल राश 16,00,000/–रूपये का ऋण दिया है, जिसकी प्रतिभूति जमानत के रूप में अप्रार्थीगण ने उपरोक्त वर्णित सम्पत्ति बंन्धक के रूप में प्रार्थी बैंक के पास गिरवी रखी है। अप्रार्थीगण का ऋण खाता एन पी ए घोषित होने से नियमानुसार. ऋण वसूली के लिए बकाया ऋण राशि मय ब्याज कुल राशि 11,63,925/–रूपये जमा कराने हेतु अप्रार्थीगण को दिनांक 03.12.2019 को अधिनियम की धारा 13 (2) के अधीन नोटिस जारी किया गया। अप्रार्थीगण द्वारा उक्त नोटिस का बैंक को जबाब दिया गया जिसका प्रतिउत्तर बैंक द्वारा अप्रार्थी ऋणी को दे दिया है। चूंकि अप्रार्थीगण द्वारा बैंक को बकाया ऋण राशि का भुगतान भी नहीं किया गया है। प्रकरण में वसूली योग्य बकाया राशि एक लाख रूपये से अधिक होने एवं 20 प्रतिशत से अधिक राशि बकाया होने से अधिनियम के प्रावधानों के तहत बैंक बन्धक रखी गई सम्पत्ति का कब्जा प्राप्त करने का अधिकारी है एवं अधिनियम की धारा 14 के तहत बैंक के पक्ष में बन्धक रखी गई उक्त कार का भौतिक कब्जा दिलाये जाने का स्पष्ट प्रावधान है।

5. अतः The securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of security interest Act. 2002 की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थी बैंक के पक्ष में अप्रार्थी अप्रार्थी कृष्ण कुमार सैनी पुत्र श्री कैलाश चन्द सैनी के स्वामित्व की सम्पत्ति फ्लैट नं॰ 1308, गुरू शिखर, शेखावाटी, ग्राम नींदड, तहसील आमेर जिला जयपुर क्षेत्रफल 681.09 वर्गफिट का भौतिक रूप से कब्जा प्रार्थी बैंक द्वारा जरिये सम्बन्धित पुलिस थाना प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते है।

जिला मजिस्ट्रेट (कलक्टर) जिला जयपुर (राज॰)

6. आदेश की प्रति संबंधित पुलिस उपायुक्त जयपुर शहर को भेज कर लिखा जावे की उक्त सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी बैंक को प्राप्त करने में सहयोग कर बैंक को दिलाने हेतु संबंधित थानाधिकारी को निर्देशित करें एवं पालना रिपोर्ट भिजवाने हेतु पाबन्द करे। आदेश की प्रति हस्ब कायदा जारी हो । पत्रावली नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

7. आदेश आज दिनांक **19.01.2021** को सरे इजलास सुनाया गया।

19/1/21

(अन्तर सिंह नेहरा)
जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर